फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 01..... मुकाम किशनगढ़

पुनीत बागरेचा.... बनाम .....**शाहजहां व अन्य**....

किस्म मुकदमा .....**एमएसीटी इजराय** प्रकरण सं...07, सन्.....2022....**(सी.आई.एस. संख्या 12/2022)**....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.06.2026	वकील पक्षकारान उपस्थित। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा S.B. CIVIL WRIT. PETITION No. 7340/2026, The New India Assurance VS Puneet Bagrecha में आदेश दिनांक 26.05.2026 के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए आदेश दिया गया कि अपर जिला एंव सेशन न्यायालय संख्या 1 किशनगढ द्वारा दिनांक 11.02.2026 को पारित अवार्ड राशि 8,34,999/–रू मय ब्याज बीमा कंपनी 4 सप्ताह के भीतर अधिकरण में जमा करवाए। उक्त राशि जमा होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा इस आशय की अण्डरटेंकिग पेश करें कि याचिका कर्ता की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो प्राप्त शुदा 50 प्रतिशत राशि याचिका कर्ता /प्रतिवादी को लौटा देगा । इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा शुदा राशि में से 50 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रार्थी को कर दिया जावे तथा शेष 50 प्रतिशत राशि की एफडीआर राष्ट्रीयकृत बैंक में 01 वर्षीय करवाई जावे। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा अवार्ड राशि मय ब्याज रूपये 8,34,999/– जरिए यू.टी.आर. संख्या AXISCN1382352995 UTIBN62026062260361410 दिनांक 22.06.2026 को इस अधिकरण के बैंक खाते में जमा करवा दी गई है। प्रार्थी ने आज उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अण्डरटेकिंग पेश की जो शामिल पत्रावली रहें है। अपार्थी बीमा कम्पनी की ओर से जमा कराई गई अवार्ड राशि 8,34,999/–रूपये में से 50 प्रतिशत राशि 4,17,499/–रूपये का प्रार्थी को जरिये बचत खाता भुगतान किया जावे तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 4,17,500/–रूपये की एफ.डी.आर. 01 वर्षीय बनाई जावे।उक्त आशय की तहरीर सम्बन्धित बैंक मैनेजर को जारी की जावे। प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.2026 के विरूद्ध अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में इस इजराय पत्रावली को लम्बित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ फैसल की जाती है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका के निस्तारण होने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावेगी। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल पेन की स्याही से नोट लगाया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। आदेशिका की एक सत्य प्रति मूल प्रकरण की पत्रावली में भी लगाई जावे । पत्रावली उक्तानुसार फैसलशुमार होकर बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। **(संदीप आनन्द)**	